प्रेस विज्ञप्ति
25.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने केनरा बैंक से जुड़े 117.06 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत चल रही जाँच के सिलसिले में अमित अशोक थेपड़े को 24.08.2025 को गिरफ्तार किया है। वह काफी समय से अधिकारियों से बचता फिर रहा था। कार्यवाही योग्य खुफिया जानकारी के आधार पर, ईडी अधिकारियों ने उसे दक्षिण मुंबई के एक प्रमुख पाँच सितारा होटल में पाया, जहाँ वह पिछले दो महीनों से ठहरा हुआ था। होटल परिसर में की गई तलाशी में 50 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज किया गया, 9.5 लाख रुपये की नकदी, 2.33 करोड़ रुपये मूल्य के सोने, हीरे और आभूषण, दो वाहन और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए, जिनमें वित्तीय लेनदेन के महत्वपूर्ण सबूत होने का संदेह है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने उसे पाँच दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने सीबीआई और एसीबी, पुणे द्वारा गैलेक्सी कंस्ट्रक्शन्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (जीसीसीपीएल) और मिट्सम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड (एमईपीएल) के खिलाफ दर्ज दो एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। अमित थेपड़े के स्वामित्व और नियंत्रण वाली दोनों कंपनियों ने विभिन्न अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर केनरा बैंक से ऋण सुविधाएँ प्राप्त की थीं। जाँच से पता चला कि आरोपियों ने पहले से बिक चुकी संपत्तियों को गिरवी रखकर या उन्हीं संपत्तियों को दो बार गिरवी रखकर बैंक को धोखा देने की साजिश रची, जिससे ऋण प्राप्त हुआ और बाद में निजी उपयोग के लिए धन की हेराफेरी की गई।

ईडी की आगे की जाँच से पता चला है कि अमित थेपड़े ने आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त अवैध धन को परतों में बाँटने और एकीकृत करने के लिए एक जटिल वित्तीय नेटवर्क बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। उसकी गिरफ्तारी व्यापक निगरानी और फोरेंसिक वित्तीय विश्लेषण के बाद हुई, जिसमें कई ऐसे लेन-देन सामने आए जिनका उद्देश्य अपराध की आय के वास्तविक स्रोत को छिपाना और उसे वैध संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करना था।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।